न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोहर(हनुमानगढ)

पीठासीन अधिकारी डॉ. हरीतिमा आर.ए.एस.

रेफरेन्स प्रा0 पत्र सं0 01/2015 दायर दिनांक 02.03.2015

अनवानः—

1. ज्ञानीराम 2. दयाराम पुत्रगण धन्नाराम जाति जाट निवासी गंगासिंहपुरा तहसील भादरा। —प्रार्थी

बनाम्

1. सुरजाराम पुत्र उदमीरमा जाति जाट निवासी गांव डोभी तहसील भादरा। (मृतक जरिये विधिक प्रतिनिधी)

1/1 ओमप्रकाश 1/2 सुभाष 1/3 रणजीत पुत्र सुरजाराम वल्द उदमीराम जाति जाट निवासी डोभी तह. भादरा।

2. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार उप—निवेशन भादरा।
3. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार भादरा। —अप्रार्थीगण

रेफरेन्स प्रा0 पत्र सं0 02/2015 **दायर दिनांक 02.03.2015**

अनवानः— 1. धर्मसिंह पुत्र स्व. रतिराम जाट उम्र 65 वर्ष वरिष्ठ नागरिक सा. डोभी त. भादरा। — **प्रार्थी**

बनाम्

1. सुरजाराम पुत्र उदमीरमा जाति जाट निवासी गांव डोभी तहसील भादरा। (मृतक जरिये विधिक प्रतिनिधी)

1/1 ओमप्रकाश 1/2 सुभाष 1/3 रणजीत पुत्र सुरजाराम वल्द उदमीराम जाति जाट निवासी डोभी तह. भादरा।

2. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार उप—निवेशन भादरा।
3. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार भादरा। —अप्रार्थीगण

रेफरेन्स प्रा0 पत्र सं0 03/2015 **दायर दिनांक 02.03.2015**

अनवानः— 1. भागसिंह पुत्र गिरधारीलाल एडवोकेट जाति जाट निवासी डोभी तहसील भादरा। — **प्रार्थी**

बनाम्

1. सुरजाराम पुत्र उदमीरमा जाति जाट निवासी गांव डोभी तहसील भादरा। (मृतक जरिये विधिक प्रतिनिधी)

1/1 ओमप्रकाश 1/2 सुभाष 1/3 रणजीत पुत्र सुरजाराम वल्द उदमीराम जाति जाट निवासी डोभी तह. भादरा।

2. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार उप—निवेशन भादरा।
3. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार भादरा। —अप्रार्थीगण

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956।

उपस्थितः— श्री रामकुमार कस्वां, अधिवक्ता — प्रार्थी

श्री विजय सिंह कडवासरा, अधिवक्ता — अप्रार्थी

निर्णय दिनांक : 14.12.2017

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

उपरोक्त तीनों रेफरेंस प्रार्थना पत्र की विषय वस्तु व पक्षकार समान होने के कारण तीनों रेफरेंस प्रार्थना पत्रों का एक साथ निर्णय किया जाता है। निर्णय की प्रति पृथक–पृथक पत्रावली में रखी जावे।

प्रार्थना पत्रों के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से है:–

1. यह कि आदेश अदालत मातहत रेफरेन्स पर्चा लगान संख्या 173 व अन्य खिलाफ कानून, न्याय, नियम व खिलाफ प्राकृतिक इंसाफ के पारित किये जाने के कारण निरस्तनीय है।
2. यह कि आदेश अदालत मातहत रेफरेन्स पर्चा लगान संख्या 173 लिगल प्रोपर व करक्ट नही होने के कारण निरस्तनीय है।
3. यह कि आदेश अदालत मातहत रेफरेन्स बिना क्षेत्राधिकार के व आरबिट्री तौर पर पारित किये जाने के कारण निरस्तनीय है।
4. यह कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण एक ही गांव डोभी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ के स्थाई निवासी है व प्रार्थीगण सद्भावी कृषक व समाजसेवी व्यक्ति है।
5. यह कि अप्रार्थीगण के पिता सुरजाराम पुत्र उदमीराम द्वारा तहसील भादरा के गांव डोभी में महकमा बंदोबस्त से पूर्व की पर्चा खतौनी एकीकरण विभाग राजस्थान सम्वत 2016 गावं डोभी बारानी तहसील भादरा के पृष्ठ सं. 45 से 47, 52 से 55 व 57 पर दर्ज प्रान्तीय सरकार की बारानी भूमि सिवाय चक आराजीराज मु. न. 30 के किला नं. 9 ता 12, 19 ता 22, मु.न. 31 के किला नं. 15,16,25, व मु.न. 40 के किला नं. 1,2,7,10 व मु.न. 91 के किला नं. 18 ता 23, मु.न. 92 के किला नं. 14,18,20, व मु.न. 106 के किला नं. 3 से 6, 13 से 18 मु.न. 104 के किला नं. 1,10,11,12 व मु.न. 120 के किला नं. 1 कुल तादादी 38 बिघा 19 बिस्वा जो कि भूमि सिवाय चक आराजी राज बरूवै पर्चा खतौनी सम्वत् 2016 के दर्ज थी, को अपने नाम से जरिये पर्चा लगान संख्या 173 के गैरखातेदारी बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश व डिग्री के व बिना किसी आवंटन आदेश के गलत व गैर कानूनी तौर से बिना क्षेत्राधिकार के मिलीभगत करके अपने नाम से दर्ज करवा ली गई। उसके पश्चात सुरजाराम की मृत्यु उपरान्त उपरोक्त भूमि का विरासतन इंतकाल अप्रार्थीगण के नाम से ब.हि.ब. में गैरखातेदारी का दर्ज हो गया व उसके पश्चात अप्रार्थीगण के नाम से ब.हि.ब. में गैरखातेदारी का दर्ज हो गया वउसके पश्चात अप्रार्थीगण द्वारा तात्कालि नायब तहसीलदार डालुराम मीणा से मिलकर दिनांक 07.11.1994 को एक तहरीर उपरोक्त भूमि की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने बाबत तहसीलदार भू–अभिलेख भादरा की सील लगवाकर जारी करवा ली गई व

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

उक्त आदेश दिनांक 07.11.1994 का जरिये डिस्पेज नं. भू–अभिलेख/94 दिनांक 07.11.1994 से जारी करवा ली गई, जबकि उपरोक्त दिनांक को भादरा तहसीलदार ओमप्रकाश जांगिड थे व ओमप्रकाश जांगिड ऑन ड्युटी थे। कालुराम मीणा नायब तहसीलदार था उसके पास तहसीलदार का कोई किसी प्रकार का चार्ज नही था उसके पश्चात उपरोक्त भूमि जरिये इंतकाल सं. 217 के हल्का पटवारी अमरसिंह कस्वां के द्वारा दिनांक 02.12.1994 को इंतकाल संख्या 217 भरकर प्रस्तुत किया गय जो दिनांक 02.12.1994 को नायब तहसीलदार डालुराम मीणा द्वारा गैरखातेदारी से खातेदारी का अपने नाम से अप्रार्थीगण द्वारा धोखाधडी करके स्वीकृत करवा लिया गया जिसकी बाबत प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध व डालुराम मीणा आदि के जरिये इस्तगासा के एफ.आई.आर. नं. 430/11 थाना पुलिस थाना भादरा में दिनांक 01.08.2011 को मुकदमा अनुवानी राज्य बनाम डालुराम आदि अन्तर्गत धारा 420,467,468,471, 120बी के तहत दर्ज करवाई गई जिसकी कार्यवाही आज दिनांक तक विचाराधीन है व गैरखातेदारी से खातेदारी दर्ज करने का डालुराम मीणा का आदेश दिनांक 07.11.1994 तहसील से जिस डिस्पेच नंबर से जारी होना आदेश में अंकित है। उसके बाबत प्रार्थी द्वारा नकल चाही गई तो तहसीलदार भादरा द्वारा ऐसा कोई आदेश तहसील कार्यालय से जारी होना नही मानकर प्रार्थी को सूचित कर दिया। फोटोप्रति पर्चा खतौनी एकीकरण विभाग सम्वत् 2016 पृष्ठ सं. 45 से 47, 52 से 55 व 57 आदेश तहसीलदार भू.अ. भादरा दिनांक 07.11.1994 व इंतकाल संख्या 217 व तहसील भादरा से आदेश क्रमांक 07.11.1194 की प्रतिलिपि प्राप्त करने का आवेदन–पत्र मय रिपोर्ट व फोटोप्रति एफआईआर नं. 430 दिनांक 01.08.2011 आदि सलंग्न रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

6. यह कि उपरोक्त मामले में महकमा भू–प्रबंध विभाग को सिवाय चक आराजी राज भूमि को किसी भी व्यक्ति के नाम से गैरखातेदारी, खातेदारी दर्ज करने व आवंटन करने का अधिकार नही है जब तक किसी सक्षम न्यायालय का आदेश व डिक्री भूमि सिवाय चक आराजीराज या आवंटन आदि को किसी व्यक्ति के नाम से दर्ज करने का आदेश हो व साथ ही विरासतन इंतकाल ही सक्षम न्यायालय के आदेश से ही दर्ज हो सकता है। इसलिए अप्रार्थीगण के पिता के नाम से दर्ज आराजीराज सिवाय चक भूमि का अंकन प्रारम्भ से ही शुन्य है व बिना किसी क्षेत्राधिकार के किया गया है। इस पर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने निर्णय आर.आर.डी. 1969 बअनुवानी पना बनाम रामपाल पेज नं. 231, आर.आर.डी 1983 मतादीन बनाम सीतराम पेज नं. 64, पेज नं. 364 श्रीमती लादी बनाम भैरूराम, 1982

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

आर.आर.डी. पेज नं. 665 स्टेट बनाम फता, 1988 आर.आर.डी. पेज नं. 685 कल्याणसिंह बनाम बीपी बानासर। इन सब में माननीय राजस्थान मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा यह होल्ड किया गया कि महकमा बंदोबस्त द्वारा दौराने सर्वे केवल चालु जमाबन्दी के इन्द्राजात ही रिपीट किये जावेंगे जब तक कि किसी सक्षम न्यायालय काआदेश व डिक्री व कोई ट्रांसफर सेटिफाईड बाई मोटेशन आर्डर व कोई आवंटन आदेश के नही हो, तब तक महकमा बंदोबस्त केवल चालु जमाबन्दी वरवक्त सर्वे की एन्टरी ही नई जमाबन्दी पर्चा खतौनी में अंकित करेगा। इस मामले में सुरजाराम के पास सम्वत 2016 की राजस्थान भूमि एकीकरण विभाग की पर्चा खतौनी में दर्ज भूमि को प्रांतीय सरकार के आराजी राज भूमि थी कोई आवंटित या गैरखातेदारी भूमि नही थी व किसी भी सक्षम न्यायालय का काई आदेश व डिक्री सुरजाराम द्वारा महकमा बन्दोबस्त के अधिकारी–कर्मचारियों के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया था, केवल मात्र धोखाधडी करके बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश व डिक्री के बिना किसी आवंटन आदेश के बिना किसी सैल डीडी के बिना किसी विरासतन इंतकाल के जो सिवाय चक आराजी राज भूमि अप्रार्थीगण के पिता सुरजाराम पुत्र उदमीराम द्वारा अपने नाम पर्चा लगान सं. 173 के धोखाधडी करके दर्ज करवा ली गई थी, वो इन्द्राजात प्रारम्भ से ही शुन्य है व बाई फ्राड के करवाये गये व काबिल दुरूस्ती के है व बिना किसी क्षेत्राधिकार के करवाये गये होने के कारण इन्द्राजात एब इनिशियों नल एण्ड वॉयड है व ऐसे सिवाय चक आराजीराज भूमि को गैरखातेदारी या खातेदारी दर्ज होने से किसी भी काश्तकार को कोई अधिकार उस भूमि की बाबत प्राप्त नही होते है व ना ही राज्य सरकार के अधिकार उसमें किसी प्रकार से समाप्त होतें है व ना ही हुये है। आज के दिन भी राज्य सरकार शिकायत प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि की खातेदार काश्तकार व मालिक है व अप्रार्थीगण की स्थिति केवल मात्र टेस पासर व एक रेंट टरेसपासर की है जो कानून में किसी प्रकार के खातेदार काश्तकार नही है व दुसरे में जो इंतकाल सं. 217 दिनांक 02.12.1994 को 07.11.1994 के आदेश के आधार पर गैरखातेदारी से खातेदारी का दर्ज किया गया है, उसकी बाबत निवेदन है कि तहसीलदार को नियम व कानून के मुताबिक गैरखातेदारी से खातेदारी अधिकार किसी काश्तकार को देने का सन् 1994 के वक्त कोई क्षेत्राधिकार नही था। खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में दो धाराऐं धारा 15 व धारा 19 दी हुई है जिसमें सब डिविजनल ऑफीसर को खातेदारी अधिकारी यदि राजकीय भूमि है व दिनांक 15.10.1955 को राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में किसी काश्तकार का नाम बतौर गैर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

खातेदार के दर्ज है तो उसे सम्वत 2012 में धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी मिलेगी यदि कोई शिकमी काश्तकार किसी खातेदार काश्तकार का जमाबन्दी सम्वत 2012 व 15.10.1955 को राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तो उसे बाई आपरेशन ऑफ लॉ ऑटोमेटिक खातेदारी भी धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सब डिविजनल आफीसर प्रदान करेगा। दुसरे यदि कोई काश्तकार किसी बारानी भूमि का आलोटी है तो उसे 1970 के आवंटन नियम 18 के तहत सब डिविजनल ऑफीसर खातेदारी अधिकार प्रदान करेगा व कॉलोनी ऐरिया का आलोटी है तो उसे भी कॉलोनी ऐरिया में एसीसी, बीसीसी, आदि खातेदारी अधिकार प्रदान करेगें। किसी भी तहसीलदार को या नायब तहसीलदार को किसी आवंटित भूमि की बाबत 02.12.1994 से पूर्व खातेदारी प्रदान करने के अधिकार नही थे। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा जो खातेदारी बाई फ्राड के राजस्व कर्मचारियों से प्राप्त की गई है वो बिना क्षेत्राधिकार के होने से काबिल निरस्तनीय है।

7. यह कि अप्रार्थीगण का पिता मृतक सुरजाराम पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी डोभी भादरा पर्चा लगान सं. 173 पूर्व में दर्ज आराजी राज भूमि का प्राप्त करने से पूर्व किसी भी प्रकार का गैरखातेदार, खातेदार, अलौटी, खरीददार या विरासतन भूमि प्राप्त करने का खातेदार काश्तकार नही था तो उसके नाम से जो भूमि सिवाय चक आराजी राज गैरखातेदारी दर्ज हुई व उसकी मृत्यु के पश्चात अप्रार्थीगण के नाम गैरखातेदारी दर्ज हुई व दिनांक 07.11.1994 के तहसीलदार के आदेश से इंतकाल सं. 217 के गैरखातेदारी से खातेदारी दर्ज करवाई गई है वो सारी कार्यवाही फर्जकारी करके अप्रार्थीगण व उसके पिता द्वारा की गई, इसलिए उपरोक्त भूमि में अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का हक हकुक व अधिकार नही है व भूमि अप्रार्थीगण के नाम से खातेदारी–गैरखातेदारी दर्ज रहने से राज्य सरकार को चुना लग रहा है व आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसलिए उपरोक्त भूमि को तुरन्त सिवाय चक आराजी राज दर्ज किया जावे व अप्रार्थीगण से कब्जा बहक सरकार लिया जावे व अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि से तुरन्त बेदखल करवाया जावे।

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण व रिकार्ड की तलबी की गई। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आये। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में रेफरेंस प्रार्थना पत्र में दर्ज बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण एक ही गांव डोभी के स्थाई निवासी है। प्रार्थी एक सद्भावी कृषक व समाजसेवी व्यक्ति है। अप्रार्थीगण के पिता सुरजाराम के द्वारा तहसील भादरा के गांव

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

डोभी की महकमा बंदोबस्त के सर्वे के दौरान बंदोबस्त विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों से मिलकर बंदोबस्त से पूर्व की पर्चा खतौनी एकीकरण विभाग सम्वत् 2016 प्रान्तीय सरकार की दर्ज बारानी भूमि आराजीराज मु.न. 30,31,40,91,92,106,104,120 की कुल 38 बीघा 19 बिस्वा भूमि को अपने नाम से गैरखातेदारी के बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश, डिक्री, आवंटन के अपने नाम से गैर कानूनी तौर पर दर्ज करवा ली। सुरजाराम की मृत्यु के पश्चात उपरोक्त भूमि अप्रार्थीगण ने विरासतन इंतकाल के जरिये अपने नाम दर्ज करवा ली। उसके पश्चात तत्कालीन नायब तहसीलदार डालुराम मीणा से मिलकर दिनांक 07.11.1994 को मिलकर उक्त भूमि की खातेदारी के आदेश करवा लिए, जबकि नायब तहसीलदार को उक्त आदेश जारी करने के कोई अधिकार नही थे। नायब तहसीलदार के पास तहसीलदार का भी कोई चार्ज नही था। बिना अधिकार के अपने नाम से खातेदारी का इंतकाल सं. 217 दिनांक 02.12.1994 को दर्ज करवा लिया। उपरोक्त इंतकाल अप्रार्थीगण द्वारा धोखाधडी से दर्ज करवाया है जिसके लिए एक इस्तगाशा भी किया गया था जिसके आधार पर उनके विरूद्ध मुकदमा भी दर्ज हुआ था जो खातेदारी आदेश जो जारी किया गया था जिसमें डिस्पेच नंबर अंकित है कि नकल मांगने पर तहसीलदार द्वारा बताया गया कि ऐसा कोई आदेश तहसील से जारी नही हुआ है। भू–प्रंबध विभाग को सिवाय चक आराजी राज भूमि किसी के नाम से खातेदारी/गैरखातेदारी/आवंटन करने का कोई अधिकार नही है। इसलिए अप्रार्थीगण के पिता के नाम से दर्ज अंकन शुरू से ही शुन्य है। इस पर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने निर्णय में ***आर.आर.डी. 1969 पेज सं. 231, आर.आर.डी. 1983 पेज सं. 64/364 व आर.आर.डी. 1982 पेज सं. 665, आर.आर.डी. 1988 पेज सं. 685 में यह हैल्ड किया गया है*** कि दौराने सर्वे केवल चालु जमाबन्दी के इन्द्राजात ही दर्ज किये जावेंगे। बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के बंदोबस्त विभाग कोई नवीन अंकन नही कर सकते ना ही किसी प्रकार का परिवर्तन कर सकतें है। सुरजाराम के नाम से दर्ज अंकन शुरू से ही शुन्य है जो बाई फ्राड करवाये गये है। किसी काश्तकार को आराजीराज भूमि खातेदारी/गैरखातेदारी दर्ज होने से कोई अधिकार उस भूमि के बाबत प्राप्त नही होतें ना ही राज्य सरकार के अधिकार उक्त भूमि से समाप्त होतें है। अप्रार्थीगण केवल अतिक्रमी है। तहसीलदार को भी नियम के मुताबिक सन् 1994 के वक्त गैरखातेदारी से खातेदारी किसी काश्तकार को देने के कोई अधिकार नही थे केवल उपखण्ड अधिकारी ही खातेदारी अधिकार देनें में सक्षम थे। अगर किसी काश्तकार के नाम भूमि गैरखातेदारी दर्ज हे उसे सम्वत् 2012 में आरटीएक्ट धारा 15 के तहत खातेदारी मिलेगी। अगर किसी काश्तकार का नाम जमाबन्दी 2012

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

में व 15.10.1955 को रिकार्ड में दर्ज है तो उसे काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के तहत एस. डी.ओ. ही खातेदारी अधिकार प्रदान करेंगे। अगर वह बारानी भूमि का आवंटी है तो उसे 1970 के आवंटन नियम 18 के तहत भी खातेदारी अधिकार, अगर कालोनी एरिया है तो एस.डी.ओ. ही खातेदारी अधिकार देने में सक्षम है। अप्रार्थीगण ने सारी कार्यवाही फर्जकारी से करवाई है। उक्त भूमि पर ना तो अप्रार्थीगण के पिता सुरजाराम को ना ही अप्रार्थीगण को किसी प्रकार के हक हकुक उक्त भूमि में प्राप्त है। इस संबंध में अप्रार्थीगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय ने दायर एसबी रिट सं. 1438/2017 में पारित निर्णय दिनांक 06.01.2017 में स्पष्ट आदेश दिए गए है कि तहसीलदार पूर्ण जांच करने के बाद ही कार्यवाही करें परन्तु तहसीलदार किसी प्रकार की कार्यवाही नही कर रहें बल्कि अप्रार्थीगण को लाभ पहुचांने की कार्यवाही कर रहें है। निर्णय की चित्रप्रति भी प्रस्तुत की है। इसलिए जब तक उक्त भूमि पुनः सिवाय चक आराजी राज दर्ज नही हो जाती है तब तक भूमि को कुर्क करके राजकीय नियंत्रण में लिया जावे। ***अपनी बहस के समर्थन में कानूनी नजीर डीएनजे 2017(1) के पेज सं. 145 व आर.आर.डी 2013 पेज सं. 210, 254, 391 व आर.आर.डी. 1990 के पेज 460 व आर.आर.डी. 1969 के पेज 231 के भी उद्धरण प्रस्तुत किये तथा आर.बी.जे. 2010(17) के पेज सं. 462 से 465 के उद्धरण प्रस्तुत किये व राजस्थान कोलोनाईजेशन(जनरल कांलोनी) कंडीशन 1955 के पेज 35 पेश किया।*** जिसमें स्पष्ट किया गया है कि आवंटन नियम 1970 के तहत आवंटित भूमि अगर कोलोनी एरिया घोषित हो जाता है तो उक्त आवंटन टीसी होल्डर का माना जावेगा व किमतन उस पर खातेदारी अधिकार दिए जा सकेंगे तथा रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्राईवेट व्यक्ति भी प्रस्तुत कर सकता है। अतः रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में रेफरेंस प्रस्तुत करने के लिए तहसीलदार को आदेश फरमावें।

वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में जबाव के बिन्दुओ को दोहराते हुये निवेदन किया कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वंय के हित के लिये रेफरेन्स प्रस्तुत नही कर सकता। जमाबन्दी सम्वत् 2006 के खाता संख्या 83,96 में सुरजा की काश्त को सत्यापन किया जाकर तत्कालीन अधिकारी द्वारा गैरखातेदारी दर्ज की गई है। जिसको किसी न्यायालय में चुनौति नही दी गई। एकीकरण से पूर्व का कब्जा काश्त है पुराने रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2006 से 2009 चार साला में अप्रार्थीगण का नाम दर्ज है तथा अप्रार्थीगण विवादित भूमि पर 2006 से काबिज है। उसके नाम से खातेदारी दर्ज होनी चाहिये थी पूर्व में यह रकबा बारानी क्षेत्र का था अब सिद्धमुख नहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

परियोजना क्षेत्र में आने के कारण सिंचित घोषित किया जा चुका है व वर्तमान में भाखडा क्षेत्र में उक्त भूमि आ चुकी है। आवंटन नियमो के अनुसार आरक्षित मूल्य जमा करवाये जाने पर खातेदारी अधिकार दिये जाने के प्रावधान है। जब विवाद प्राईवेट पार्टी के मध्य हो तो रेफरेन्स प्रस्तुत नही किया जा सकता। पूर्व में दोनो पार्टीयो के मध्य विवाद चला था तथा नामान्तरकरण एक फिक्सल प्रोसिडिंग है जिसमें किसी प्रकार के हक तय नही किये जाते है। प्रार्थी के नाम से दर्ज गैरखातेदारी भूमि को कहीं भी चैलेंज नही किया गया तथा इन्तकाल संख्या 217 दिनांक 02.12.1994 जिसके द्वारा खातेदारी अधिकारी दिये गये थे के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण की रिट याचिका में पारित निर्णय दिनांक 06.01.2017 द्वारा तहसीलदार को आदेश दिये गये है कि खातेदारी की पूर्ण जांच करके पक्षकारान को खातेदारी अधिकार देने की कार्यवाही करें। इस सम्बन्ध में तहसीलदार द्वारा भी जबाव देकर स्पष्ट निवेदन किया गया है कि यह रेफरेन्स आपसी रंजिशवंश पेश किया गया है। अप्रार्थीगण गैरखातेदारी की हैसियत से शांतिपूर्वक तरीके से उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा निवेदन किया की न्यायालय के आदेशो की पालना में खातेदारी भूमि को वापिस गैरखातेदारी दर्ज कर दी गई है।

वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में यह भी निवेदन किया कि अप्रार्थीगण के पिता उक्त विवादित भूमि पर सम्वत् 2006 से काबिज है तथा लगातार उनका कब्जा साबित है। काश्तकारी नियमों के अनुसार 2012 से पूर्व की कब्जा काश्त की भूमि पर स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण ने एक ही भूमि की तीन अलग–अलग रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पेश किये है। जिससे स्पष्ट है कि यह सारी कार्यवाही अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की गरज से की गई है फिर भी अगर प्रार्थीगण के कोई हक विवादित भूमि में निहित है तो वह सक्षम न्यायालय में घोषणात्मक वाद प्रस्तुत कर अपने हक तय करवा सकता है। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत् 2006 से 2008 की प्रमाणित प्रति भी पेश की है जिसमें सुरजा के नाम से भूमि का अंकन है तथा वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में आरबीजे 2010(17) के पेज 486, आरआरटी 2012 (1) पेज 412, आरआरडी 2005 पेज 303 के कानूनी उदरण भी प्रस्तुत किये। अतः प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अपने निजी स्वार्थवश व इन्तकाल की कार्यवाही निरस्त करवाने के लिये पेश किया है। जबकि इन्तकाल की कार्यवाही के सम्बन्ध में पूर्व में न्यायालय द्वारा निर्णय हो चुका है। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

हमने बहस सुनी पत्रावली एवं दस्तावेजो का अवलोकन किया। प्रस्तुत कानूनी नजीरो का सम्मानपूर्वक अध्ययन किया। यह सही है रेफरेन्स प्रायवेट व्यक्तियों द्वारा भी किया जा सकता है व प्रस्तुत दस्तावेजो से यह साबित होता है कि रेफरेन्स में अंकित भूमि सुरजाराम के नाम सम्वत् 2006 से 2008 ग्राम डोभी बारानी में दर्ज है। इसी के आधार पर भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2029 से 2038 में सुरजाराम के नाम से गैरखातेदारी दर्ज की है तथा सुरजाराम की मृत्यु होने के पश्चात् उसके वारिसो के नाम से दर्ज हुई है। भूमिधारी तहसीलदार भादरा ने अपने जबाव में स्पष्ट किया है कि विवादित भूमि सम्वत् 2006 पुराने रिकार्ड के आधार पर ही गैरखातेदारी दर्ज की गई है एंव उक्त अप्रार्थीगण विवादित भूमि पर शांतिपूर्वक लगातार आजतक कब्जाकाश्त मानी है। जहां तक गैरखातेदारी से खातेदारी दर्ज करने का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.01.2017 की पालना में पुनः गैरखातेदारी दर्ज कर दी गई है। रेफरेन्स में दर्ज भूमि के सम्बन्ध में पक्षकारो का आपस में विवाद भी न्यायालय में चल चुका है। फिर भी अगर प्रार्थीगण चाहे तो अपने हको की घोषणा करवाने के लिये सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकता है।

उपरोक्त विवेचनानुसार रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारीज किया जाता है व तहसीलदार भादरा को निर्देश दिये जाते है कि माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में गैरखातेदारी से खातेदारी भूमि के सम्बन्ध में पूर्ण जांच कर एक माह में कार्यवाही करें। निर्णय की प्रतियां शीर्षक पत्रावलियों में अलग–अलग रखी जावें।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 14.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. हरीतिमा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर(हनुमानगढ़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)